न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 50 / 2020

आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखाः आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि0, कचहरी रोड, अजमेर–305001(राजस्थान)

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) मैसर्स भारत ब्रिक्स वर्क्स प्रो0 श्री जावेद खान पुत्र श्री अयुब खान (ऋणी), पताः–लोहागल रोड, ग्लोबल कॉलेज के पीछे, गॉव लोहागल, अजमेर–305001 (राजस्थान)
दुसरा पताः– 56 / 23, भट्टे वाली गली, पुष्कर रोड, अजमेर–305001(राजस्थान)
(2) श्री संजय शर्मा पुत्र श्री नन्द कुमार (जमानती)
पताः–551 / 3, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर–305001 (राजस्थान)
(3) श्री कयुम खान पुत्र श्री अयुब खान (जमानती एवं रहनकर्ता)
पताः– 56 / 23, भट्टे वाली गली, पुष्कर रोड, अजमेर–305001(राजस्थान)

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अजय टांक प्राधिकृत अधिकारी

आदेश दिनांक 25.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 को दिनांक 28.05.2018 को रू. 20,00,000 / – (अक्षरे बीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर संपत्ति मुस्लिम मोची मोहल्ला अजमेर (राज0) एएमसी नं0 323 / 07=233 / 40, जिला अजमेर (राजस्थान) स्थित सम्पति कुल क्षैत्रफल 30.75 वर्ग यार्ड, इस सम्पत्ति का दिनांक 26.07.2012 का उप पंजीयक अजमेर–2 में पंजीयन करवाया गया था, जिसकी पुस्तक सं0 01, जिल्द सं0 301, पेज सं0 146 कम सं0 2012005639 अतिरिक्त पुस्तक सं0 1, जिल्द सं0 1203, पेज सं0 454 से 463 दिनांक 26.07.2012 से पंजीयन किया गया था। यह संम्पत्ति श्री कयुम खान पुत्र श्री अयुब खान द्वारा प्रार्थी बैंक मे रहन रखी थी, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः– उत्तर मेंः–श्री सोनी जी की सम्पति, दक्षिण मेः– आम रास्ता, 12.6 फीट, चौडा पूर्व मेंः–श्री तुलसीराम जी की सम्पति, पश्चिमः–निजि सम्पति, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.09.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 06.11.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–18,52,146.05 / –(अक्षरे अठारह लाख बावन हजार एक सौ छियालीस एवं पांच पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया। प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्राथीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति मुस्लिम मोची मोहल्ला अजमेर (राज0) एएमसी नं0 323/07=233/40, जिला अजमेर (राजस्थान) स्थित सम्पति कुल क्षैत्रफल 30.75 वर्ग गज जो श्री कयुम खान पुत्र श्री अयुब खान द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गई थी, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः– उत्तर मेंः–श्री सोनी जी की सम्पति, दक्षिण मेंः– आम रास्ता, 12.6 फीट, चौडा पूर्व मेंः–श्री तुलसीराम जी की सम्पति, पश्चिमः–निजि सम्पति, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner